

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-564/IX-1/2023-02(04)/2023
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-12/2003) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके केन्द्र सरकार द्वारा जी0एस0आर0 653 (इ) दिनांक 23 सितम्बर, 2021 के माध्यम से जारी मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा में यान को स्कैप कराये जाने की शर्त पर निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में वर्णित श्रेणियों के यानों को तालिका के स्तम्भ 3 में प्रत्येक के समक्ष यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन देय मोटरयान कर के बकाया एवं स्तम्भ 4 में वर्णित सीमा तक अधिनियम की धारा 9 के अधीन शास्ति के संदाय से छूट प्रदान करते हैं-

सारणी

क्रमांक	यान का विवरण	कर छूट	शास्ति में छूट
1	2	3	4
1	वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के यान	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
2	वर्ष 2003 में या इसके पश्चात परन्तु वर्ष 2008 से पूर्व पंजीकृत समस्त श्रेणियों के यान	50 प्रतिशत	100 प्रतिशत
3	वर्ष 2008 में या इसके पश्चात पंजीकृत समस्त श्रेणियों के यान	-	100 प्रतिशत

- उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी मोटर यान (यान स्कैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा में स्कैप कराये जाने वाले समस्त प्रकार के गैर परिवहन एवं परिवहन यानों पर उक्त तालिका के अनुसार कर एवं शास्ति में छूट अनुमन्य होगी।
- यान स्वामी को उपरोक्त सारणी/तालिका में वर्णित सीमा के अन्तर्गत यान पर अनुमन्य निर्धारित छूट यान के विरुद्ध कुल अवशेष धनराशि की गणना के पश्चात अनुमन्य छूट की धनराशि घटाकर अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करने पर ही अनुमन्य होगी।
- उक्त छूट प्राप्त करने के 20 दिन के अंदर यान के स्वामी के द्वारा यान को किसी रजिस्ट्रीकृत यान स्कैपिंग सुविधा में स्कैप कराकर निक्षेप प्रमाण-पत्र संबंधित पंजीयन अधिकारी/कराधान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- निक्षेप प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा यान के पंजीयन को रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त छूट इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।